

NOC

प्रमाणिक पत्र (23) लेखा/32/काशि/अनु/2004-05/275
कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 10-1-05

6

कुल राशि
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

विषय-विद्यार्थी अनादिता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में राज्या सरकार के निर्देशानुसार लेख 8 कि निम्नलिखित महाविद्यालय 1909 अधिनियम के पूर्व स्थापित थे। ये विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के कारण उनके नाम के सामने अंशित वर्ष से उनकी स्थापना की तिथि मान्य है। निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है-

क्र.सं.	महाविद्यालय	स्थापना वर्ष	स्थापी एनओसी जारी करने का वर्ष
1.	सेठ जी.डी. पटेल कालेज, नवलगढ़ जिला सुझुन	1945	1948
2.	एस.एस.जी. प्रौद्योगिकी महा विद्यालय, जयपुर	1955	1958
3.	अग्रवाल कालेज, जयपुर	1957	1960
4.	चिहवा कालेज, चिहवा जिला सुझुन	1958	1961
5.	सेठ मोतीलाल कालेज, सुझुन	1958	1961
6.	एस.एस. जैन सुशोभ महाविद्यालय, जयपुर	1959	1962
7.	शारदा सदन कालेज, मुकुन्दगढ़ जिला सुझुन	1959	1962
8.	सेठ जी.आर. चमंडीरा कालेज, फतेहपुर जिला सीकर	1960	1963
9.	खान महापुर रानी कालेज, जयपुर	1963	1966
10.	कमलेश्वरी महिला महाविद्यालय, जयपुर	1965	1968
11.	श्री बी.डी. मोदी कालेज, नवलगढ़ जिला सीकर	1965	1968
12.	इंदिरागंधी महिला विज्ञान, अरजुन जिला सुझुन	1966	1969
13.	एम.के. साहू कालेज आरु कामरा, पिलानी जिला सुझुन	1970	1973
14.	जी.डी. कालेज बजागीन जिला सुझुन	1970	1973
15.	श्री रतनसिंह कालेज आरु नौन, जयपुर	1974	1977
16.	श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर	1977	1980
17.	एस.एस. जैन सुशोभ इंग्लिश कालेज, जयपुर	1977	1980
18.	सेठ रामचिरान चामुण्डा कालेज, फतेहपुर जिला सीकर	1978	1981
19.	श्रीमती इन्दुभाई महिला महाविद्यालय गल्ली कालेज, पिलानी जिला सुझुन	1980	1983
20.	आर्य गल्ली कालेज, उदयपुर	1980	1983
21.	जे.डी. साहू गल्ली कालेज, सुझुन	1982	1985
22.	सत जवाहरा महिला महाविद्यालय, जयपुर	1983	1986
23.	एस.एस.जी. पारीक महिला महाविद्यालय, जयपुर	1986	1989
24.	विनोदनी कालेज, खतडी जिला सुझुन	1988	1989

25.	श्री आदि नाम इयनिंग कानर्स कालेज, जयपुर	1986	1989
26.	श्री खण्डेलाल वैश्य महाविद्यालय, जयपुर	1980	1980
27.	रथामी माधवगन्द मल्ल कालेज, जयपुर	1986	1988
28.	श्री बाबोई देवी कान्हेवालाल महिला महाविद्यालय, ढोंग जिला-भरतपुर	1987	1990
29.	श्रीमती गिन्दी देवी सारथनारायण सारथरिया मल्ल कालेज, धिडाया जिला झुनार	1987	1990
30.	आर्य विश्वविद्यालय मल्ल कालेज, भूसायर जिला भरतपुर	1980	1983

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करेगी।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हतावाली व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशिक्षणिक स्टाफ की नियुक्त करना होगा।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एन्ड्रोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु भुलभूत आयस्वयक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी।
5. संस्था राशय पर जारी राज. सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा द्वारा निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था पूर्ण में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करेगी।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।
8. संस्था को रक्षाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रक्षाई मान्यता को आहरित (withdraw) भी किया जा सकता है।

भवदीय,
[Signature]
(श्री. एन. सी. जी.)
आयुक्त

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. उप सचिव (जे.) महानुस्त्रमंश्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 3. निजी सचिव, प्रमुख सारथन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज. मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
 5. उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 7. जिला कलेक्टर, जयपुर/झुनार/भरतपुर/सीकर।
 8. सचिव, संबंधित महाविद्यालय।
 9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 11. संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली
 12. रक्षित पत्रावली

[Signature]
संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर।